

संख्या- 1162/15-7-07-16(43)/2007

प्रैष्ठक,

सधानन्द,  
अनु सधिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-२ समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

## शिक्षा (७) अनुसार

लाखनऊ: दिनांक: २२ जनवरी २००७

**विषय :-** रघुदीर वाल मंदिर, अलीगढ़ को सीएस०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु जनापति प्रभाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संबंधित विधालय को सीधी ०४८०५७० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस गण्ड सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का सम्बन्ध सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
  - (2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक छारा नामित एक सहस्य होगा।
  - (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रेधानों द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न क्रांतों के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
  - (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और वहि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्युकेशन नेशनल/कैरियर आफ इन्डियन स्कूल राटीफिकेट इनजागिनेशन नेशनल से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०५०० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रथम मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
  - (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिखण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुभव्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
  - (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुभव्य सेवा नियूनित का लाभ उपलब्ध कराये जावेंगे।



- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) शिक्षालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र परिज्ञाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त ग्रामों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाला जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है तब तथा पालन करने में किसी अकार की चुक्क या शिक्षितता घरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति ग्रमाण पत्र दापस ले लिया जायेगा ।

धन्दीय,

(सदानन्द)

अनु संधिव ।

### पुस्तकों पर दिनांक लिखें

प्रतिलिपि निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(भा०),उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संस्कृत शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ।
- 4- निरीक्षक,आंतर भारतीय विद्यालय ल०प्र०,लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, रघुदीर बाल परिवर्तन,अलीगढ़ ।
- 6- गाँड़ छुक ।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

अनु संधिव ।

